तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील/एलआर/4140/2004/चित्तौडगढ **मदनलाल व अन्य बनाम ग्राम पंचायत व अन्य**	

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—24.02.2025

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा अपील संख्या 185/2002 में पारित आदेश दिनांक 11—12—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— सर्वप्रथम अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 केवल राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुये, उपखण्ड अधिकारी कपासन के आदेश दिनांक 12—12—2001 जबकि उपखण्ड अधिकारी कपासन का आदेश दिनांक 12—12—2001 नहीं था के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। प्रार्थीगण के एतराजों पर उपखण्ड अधिकारी में चाही गयी भूमि का आवंटन, ग्राम पंचायत, भीमगढ को नहीं किया। जो भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को दी जायेगी उसमें प्रार्थीगण का हित निहित है। भूमि आबादी विस्तार हेतु दी जाने वाली में केवल ग्रामवासीयों का हित ही देखा जाता है चूंकि जो भूमि प्रस्ताव में चाही गयी है वह आवासीय उद्देश्य हेतु सुविधाजनक नहीं है चूंकि प्रार्थीगण को ही भूमि आगे पीछे चलकर आवंटन की जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटित रकबे में प्रार्थीगण अपना हित रखते हैं, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार थे जिनकों पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 11—12—2002 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया।

4— तत्पश्चात् विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कथन किया। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलाण्टगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था। उपर्युक्त स्थिति में उन्हें अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। जानकारी समय पर नहीं होने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4140/2004/चित्तौडगढ** **मदनलाल व अन्य बनाम ग्राम पंचायत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के अभाव में उक्त अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है जो सद्भावी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे।

5— इसके पश्चात् विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी/अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत, भीमगढ द्वारा आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 20—09—2001 को स्वीकृत किया गया जाकर प्रकरण तहसीलदार राशमी के यहां भेजा गया। तहसीलदार, राशमी ने अपने आदेश दिनांक 12—12—2001 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कपासन के यहा प्रतिप्रेषित किया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 12—12—2001 के विरूद्ध ग्राम पंचायत भीमगढ ने प्रस्तुत की जबकि दिनांक 12—12—2001 का आदेश उपखण्ड अधिकारी कपासन का नहीं होकर तहसीलदार राशमी का आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के यहां संधारण योग्य नहीं थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन का आदेश दिनांक 17—05—2002 था जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपील ग्राम पंचायत भीमगढ स्वीकार की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन ने तहसीलदार, राशमी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण को तहसीलदार राश्मी से मंगवायी गयी रिपोर्ट पर एवं ग्रामवासियों के उजरात पर ग्राम पंचायत, भीमगढ द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव संख्या 5 को स्वीकार नहीं किया, यदि ग्राम पंचायत, भीमगढ, उपखण्ड अधिकारी कपासन के आदेश दिनांक 17—05—2002 से व्यथित थी तो उसको राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 17—05—2002 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। दिनांक 17—05—2002 के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार, राशमी का आदेश दिनांक 12—12—2001 निरस्त नहीं किया जा सकता था। जैसा कि केवल रेफरेन्स था ना कि कोई आवंटन आदेश जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष होती। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ को स्वयं को आबादी विस्तार हेतु जिस तरह उन्होंने अपना आदेश पारित किया है उस तरह भूमि आबादी विस्तार हेतु स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। राजस्व अपील प्राधिकारी केवल अधीनस्थ न्यायालय या आवंटन अधिकारी को निर्देश देकर ही प्रकरण लौटा सकते थे। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत निहित शक्तियों का गलत प्रयोग किया है। राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष ग्राम पंचायत भीमगढ द्वारा प्रस्तुत अपील अपूर्ण थी। उपखण्ड अधिकारी कपासन ने अपीलाण्ट के ऐतराजों पर सुनते हुए भूमि आवंटन ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु नहीं की। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 के लिए आवश्यक था कि उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाते। अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में ग्राम पंचायत भीमगढ द्वारा प्रस्तुत अपील अपूर्ण थी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—12—2002 निरस्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4140/2004/चित्तौडगढ** **मदनलाल व अन्य बनाम ग्राम पंचायत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

फरमाया जावे।

6— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अधिवक्ता अपीलार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि सिवायचक है। अपीलार्थीगण का प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार से हित निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय से अपीलार्थीगण किसी भी तरह से हितबद्ध/पीडित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्हें प्रश्नगत आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार का लोकस स्टेण्डाई नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी कपासन ने अपने आदेश से प्रश्नगत आराजी ग्राम पंचायत भीमगढ को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की है जिससे अपीलाण्टगण का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय 11—12—2002 बहाल रखा जावे।

7— हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्टगण ने मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की है। उक्त अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11—12—2002 से स्वयं को व्यथित, पीडित एवं हितबद्ध पक्षकार होना कथन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत भीमगढ को प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 646 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 777 में से 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 में दिये गये प्रावधानानुसार आबादी विस्तार के प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट किये जाने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश से अपीलाण्टगण व्यथित होना साबित नहीं होते हैं। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से साबित है कि प्रश्नगत आराजी राजकीय भूमि है। उक्त भूमि से अपीलाण्टगण का किसी प्रकार का कोई सम्बंध होना साबित नहीं है न ही अपीलाण्टगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे प्रश्नगत आराजी से उनका कोई हित निहित होना साबित हो। अपीलाण्टगण को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अपने प्रार्थना पत्र को साबित करना होता है परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि उनका प्रश्नगत आराजी में किसी प्रकार का हित निहित है? इसके अलावा वह प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध, प्रभावित एवं पीडित पक्षकार कैसे हैं? उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में मुख्य रूप से कथन किया है कि ''जो भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को दी जावेगी उसमें प्रार्थीगण का हित निहित है। भूमि आबादी विस्तार हेतु दी जाने वाली में केवल ग्राम वासियों का हित ही देखा जाता है। चूंकि जो भूमि प्रस्ताव में चाही गयी है। वह आवासीय उद्देश्य हेतु सुविधाजनक नहीं है।'' प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में जो कथन किये है वह किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है। उन्होंने अपने कथन को साबित नहीं किया है केवल कथन किये है। इस प्रकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/4140/2004/चित्तौडगढ** **मदनलाल व अन्य बनाम ग्राम पंचायत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्टगण किसी प्रकार से हितबद्ध/पीडित/प्रभावित पक्षकार प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि राजकीय भूमि को आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट पंचायत भीमगढ को सेट अपार्ट करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश से अपीलाण्टगण किसी भी प्रकार से व्यथित पक्षकार प्रतीत नहीं होते। प्रस्तुत प्रकरण में जब अपीलाण्टगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित पक्षकार ही साबित नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के आधार पर विवेचन/विश्लेषण के आधार पर विश्लेषण किया जाना न्यायाहित में उचित नहीं समझतें है। 8— परिणामतः अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—12—2002 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	